पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

04 अप्रैल या इससे पूर्व की तिथियों पर लर्नर लाइसेंस हेतु स्लॉट की बुकिंग करवाने वाले आवेदकों की बुकिंग होगी रि–शिड्यूल

लर्नर लाइसेंस हेतु नये आवेदन नहीं किये जाएंगे स्वीकार

पूर्व निर्धारित एप्वाइंटमेन्ट को दिनांक 15 अप्रैल से 25 अप्रैल की अवधि में किया जायेगा रि–शिड्यूल

कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु लिया गया निर्णय

– धीरज साहू

लखनऊ : 19 मार्च, 2020

उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री, श्री अशोक कटारिया के निर्देश पर परिवहन कार्यालयों में कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण पाने के उद्देश्य से परिवहन आयुक्त, श्री धीरज साहू ने कहा है कि 04 अप्रैल 2020 अथवा इससे पूर्व की तिथियों पर लर्नर लाइसेंस टेस्ट हेतु स्लॉट की बुकिंग करवाने वाले आवेदकों की बुकिंग अगले उपलब्ध स्लॉट में रि–शिड्यूल की जायेगी। साथ ही दिनांक 04 अप्रैल, 2020 तक लर्नर लाइसेंस हेतु कोई नये आवेदन नहीं प्राप्त किये जाएंगे। श्री साहू ने बताया कि यह व्यवस्था आगामी 21 मार्च से लागू की जायेगी।

परिवहन आयुक्त ने बताया कि स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस की स्वीकृति के सम्बन्ध में 04 अप्रैल 2020 तक यह संशोधित व्यवस्था लागू की जानी है। उन्होंने कहा कि 04 अप्रैल तक केवल ऐसे आवेदकों के ही स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस का कार्य किया जाएगा जिनके लर्नर लाइसेंस की वैधता दिनांक 30 अप्रैल अथवा उसके पूर्व समाप्त हो रही है। 04 अप्रैल 2020 तक पूर्व निर्धारित एप्वाइंटमेन्ट को दिनांक 15 अप्रैल 2020 से 25 अप्रैल, 2020 की अवधि में रि–शिड्यूल कर दिया जाएगा।

श्री साहू ने बताया कि परिवहन कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस के कार्यों को संपन्न कराने हेतु अधिक संख्या में आवेदक कार्यालय में उपस्थित होते हैं, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा परिवहन कार्यालयों में कार्य करने वाले कार्मिकों के साथ–साथ आवेदकों पर भी रहता है। इस स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु यह निर्णय लिये गये हैं।

सम्पर्कः **सूचना अधिकारीः अमित कुमार शुक्ला**

राम यतन/ 07:00 PM